

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), दौसा



क्रमांक : एफ () संस्था/MGNREGA/संविदा भर्ती/2017-18/833-38 दिनांक : 21.11.2017

विज्ञप्ति


श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अनुभाग-3, जयपुर के पत्रांक एफ 11 (8) ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2016/93342 दिनांक 25.05.2017 की अनुपालना में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत दौसा जिले में तकनीकी सहायकों एवं लेखा सहायकों के रिक्त पदों हेतु अनुबन्ध के आधार पर (पूर्णतया अस्थाई) पदों को भरने के लिए निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं.	सेवा/पद का नाम	पद स्थापन का माध्यम	योग्यता	मानदेय प्रति माह	रिक्त पदों की संख्या
1.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	संविदा पर	सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमा तथा कृषि इंजिनियरिंग में बी.ई. या बी.टेक.	8000/- मानदेय 2000/- यात्रा भत्ता 3000/- ग्रामीण भत्ता कुल 13000/-	12
2.	लेखा सहायक	संविदा पर	बी.कॉम/सी.ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.)/आई.सी.डब्ल्यू.ए. (इन्टर)/कंपनी सैकेट्री (इन्टर)	8000/-	25

शर्त :-

- आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी पूर्ण विवरण सहित अपना आवेदन पत्र अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा को प्रेषित करेंगे।
- आवेदन पत्र प्रेषित किये जाने की अंतिम तिथि 15.12.2017 को सायं 5.00 बजे तक होगी। इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। डाक द्वारा भिजवाये जाने वाले आवेदन भी इसी तिथि तक कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। डाक विभाग/अन्य किसी भी कारण से होने वाले विलम्ब के लिए कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। संबंधित अभ्यर्थी उत्तरदायी होगा एवं आवेदन पत्र में सुधार हेतु पत्र व्यवहार नहीं किया जावे।
- पदों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है। किसी प्रकार का विवाद होने पर गठित चयन कमेटी का निर्णय मान्य होगा।
- आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपने नाम, पिता/पति का नाम, जाति, लिंग, मोबाईल नं., निवास स्थान व वर्तमान पता एवं स्थायी पता, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र जो कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी हो से संबंधित स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपियां आवश्यक रूप से संलग्न करें।
- उक्त सेवाएं पूर्णतया अनुबंध पर आधारित हैं। कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायकों की अनुबंध अवधि दिनांक 28.02.2018 तक रहेगी।
- उक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायकों एवं लेखा सहायकों की अनुबंध अवधि 28.02.2018 के पश्चात अनुबंध अवधि राज्य सरकार के आदेशानुसार बढ़ायी जा सकती है। सेवाएं संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर किसी भी समय अभ्यर्थियों के सेवाएं बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेंगी।
- आवेदक की दिनांक 01.01.2018 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष तक होनी चाहिए। साथ ही राजस्थान राज्य के अ.जा/अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) के पुरुष अभ्यर्थी या सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. (नॉन क्रीमीलेयर) महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु में 10 वर्ष की छूट होगी। भूतपूर्व सैनिकों की ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी। विधवा एवं तलाकशुदा महिला के मामले में कोई आयु (अधिवाषिकी तक) सीमा नहीं होगी।
- राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और महिलाओं को आरक्षण कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 12.10.2015 के अनुसार नियमानुसार देय होगा।
- ओबीसी जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा।
- दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अर्जित तकनीकी शिक्षा की डिग्री/डिप्लोमा अमान्य होगा।
- आवेदन पत्रों की मेरिट सूची कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चरखा की जायेगी व कुल पदों के 3 गुणा अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जायेगा। बुलाये जाने पर किसी प्रकार का यात्रा भत्ता व अन्य भत्ते देय नहीं होगा।
- आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में रिक्तियों को अग्रेषित करने के स्थान पर उन्हें उपलब्ध अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।


13. आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय महात्मा गांधी नरेगा, जिला परिषद, दौसा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया है।
14. आवेदन पत्र प्रारूप एवं विज्ञप्ति की शर्त वेबसाईट www.dausa.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
15. डिग्री/डिप्लोमा की अंतिम अंक तालिका स्पष्ट एवं पूर्ण पठनीय होनी चाहिए एवं दिनांक 15.12.2017 तक समस्त शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए।
16. संविदा अनुबंध वित्त विभाग के पत्र दिनांक 27.06.2014 के निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थी को नियमानुसार 500 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।
17. उक्त पदों पर चयन निर्धारित योग्यता में मेरिट के आधार पर होगा। परन्तु कनिष्ठ तकनीकी सहायक पद पर चयन में डिग्री को डिप्लोमा पर प्राथमिकता दी जायेगी।
18. कनिष्ठ तकनीकी सहायक/लेखा सहायकों को पंचायत समिति विशेष हेतु अनुबंधित करने के स्थान पर जिले की किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जावेगा। ताकि जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में नियोजित किया जा सकेगा।


जिला कार्यक्रम समन्वयक(MGNREGA)
एवं जिला कलक्टर, दौसा

क्रमांक : एफ () संस्था /MGNREGA /संविदा भर्ती /2017-18 /
प्रतिलिपि :-

दिनांक :

1. श्रीमान शासन सचिव महो0 ग्रामीण विकास विभाग जयपुर।
2. श्रीमान आयुक्त, ईजीएस महो0, ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर।
3. श्रीमान अति0 आयुक्त प्रथम, ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. एपीसी, डीओआईटी दौसा को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाईट www.dausa.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
5. सम्पादक राजस्थान पत्रिका दौसा को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित डीपीआर दरों पर राजस्थान पत्रिका के दौसा संस्करण में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
6. सम्पादक दैनिक भास्कर दौसा को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित डीपीआर दरों पर राजस्थान पत्रिका के दौसा संस्करण में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
7. सम्पादक दौसा श्रमट को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति न्यूनतम साईज में प्रकाशित करें।


जिला कार्यक्रम समन्वयक (MGNREGA)
जिला कलक्टर (अधिकारी)
एवं जिला परिषद, दौसा

